



क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/396

भोपाल, दिनांक...14.05.2020

प्रति,

1. जिला कलेक्टर,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- विदेश से आने वाले यात्रियों की जानकारी "ए" एवं "बी" फर्म में देने के सम्बंध में।


संदर्भ:-आई.डी.एस.पी के पत्र क्रं/2020/386 दिनांक 12.05.2020

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से विदेश से आने वाले यात्रियों की जिलेवार सूची से आपको अवगत कराया गया है एवं इन यात्रियों को 14 दिवस हेतु कोरेन्टाईन किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पत्र क्रं/टी.-18015/374-2020-आई.डी.एस.पी, दिनांक 13.05.2020 के द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट किये जाने के लेख किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सूची अनुसार अपने जिले के यात्रियों की जानकारी आई.डी.एस.पी के निर्धारित प्रपत्र "ए" एवं "बी" में भर कर ईमेल आईडी-idspssu@mp.gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें ।

संलग्न उपरोक्तानुसार।


(फैज अहमद किदवाई)


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/

भोपाल, दिनांक.....05.2020

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
- 3 समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
4. समस्त ईपीडिमियोलॉजिस्ट, मध्यप्रदेश।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण



Dr. Sujeet K Singh
MD, DCH
Director



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र
(स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
22, श्याम नाथ मार्ग, दिल्ली - 110054

Government of India

NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL

[Formally Known as National Institute of Communicable Disease (NICD)]
Directorate General of Health Services
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
22, Sham Nath Marg, Delhi-110054



Direct: 00-91-11-23913148
23922132 Fax: 23922677
E-mail: dirnccd@nic.in, sujeet647@gmail.com
Website: www.ncdc.gov.in
www.idsp.nic.in

File No: T-18015/374/2020-IDSP

Date: 13.05.2020

Dear State Surveillance Officers,

At the outset I would like to appreciate the efforts taken by you in responding to the COVID19 pandemic in your States and Districts. The surveillance for COVID19 in the Country began in the month of January 2020 and has been ongoing since then.

As you all are aware the international passengers' flights for evacuation of stranded citizens from various Countries has been initiated by the Government of India and the first flight has already brought back the stranded citizens into the Country. I would at this point like to reiterate the importance of the surveillance and reporting of these passengers. The reporting of this may be done through the IDSP reporting format - Format C and the line list of these passengers be maintained as per Format B. As this exercise has been performed by all States previously, repeating the same now should not be a problem. The same data should also be uploaded on the COVID19/ Special Surveillance System portal.

The daily report in this regard be shared through email with CSU (idsp-npo@nic.in) before 12 noon along with a copy to the nodal officer at CSU for the State.

Looking forward to continued support.

with regards


(Subject Kr. Singh)

To,
All State Surveillance Units



Antibiotic Resistance Containment Stewardship: Our Role, Our Responsibility
Judicious Use of Antibiotic: Key to Contain Antibiotic Resistance





क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/386

भोपाल, दिनांक./2020/05.05.2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय:- विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरेंटाईन करने के संबंध में।

संदर्भ:- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक
40-3/2020-डीएम-आई (ए) दिनांक 05.05.2020।

उपरोक्त विषय में लेख है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों के दिशा निर्देश जारी किये गये है। यह यात्री मुख्यतः भारत प्रमुख एयर पोर्ट से प्रस्थान करेंगे। भारत सरकार द्वारा कुछ महानगरों में इन यात्रियों के कोरेंटाईन की व्यवस्था की गई है। उन महानगरों में इन यात्रियों की निर्धारित जांच कर उन्हें 14 दिवस के लिये कोरेंटाईन सेंटर में रखा जावेगा। इसके अतिरिक्त जिन महानगरों में कोरेंटाईन की व्यवस्था नहीं की गई है उन महानगरों से यह समस्त यात्री अपने अपने निवास के जिलों में प्रस्थान करेंगे। ऐसी स्थिति में उन जिलों के जिला कलेक्टर इन यात्रियों को जिलों में निर्धारित कोरेंटाईन सेंटर में 14 दिवस के लिये कोरेंटाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन यात्रियों में से यदि कोई यात्री निर्धारित कोरेंटाईन सेंटर में रहने में असहमत है तो ऐसे यात्रियों को उनके स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा निर्धारित निजी होटल में कोरेंटाईन किया जा सकता है। शासन द्वारा निर्धारित निजी होटलों की सूची अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

निर्धारित 14 दिवस की कोरेंटाईन अवधि उपरांत इन यात्रियों की कोविड-19 के सेम्पल लेकर जांच की जावे तथा जांच में निगेटिव परिणाम आने पर ही कोरेंटाईन अवधि समाप्त कर घर जाने की अनुमति दी जावे।

अतः उपरोक्तानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि विदेश से आने वाले यात्रियों की COVID-19 (कोरोना वायरस) की बीमारी के संबंध में जांच कर उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिवस के लिये कोरेंटाईन किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(फैज-अहमद किदवाई)


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 387

भोपाल, दिनांक...12...05.2020

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
04. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
05. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
06. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण